

सूचना प्राप्त करने के लिए फार्म

आई.डी. संख्या
(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,

.....
.....

1. अपील करने वाले का नाम
2. पता
3. मांगी गई सूचना* :-

[मांगी गई प्रत्येक सूचना के ब्यौरे में विशिष्ट मद शामिल होनी चाहिए]

4. मेरी जानकारी के अनुसार मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, यह खंड 8 और 9 अधिनियम के अंतर्गत नहीं है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी भारत का नागरिक हूँ।
6. फीस वाणिज्य मंत्रालय के खंचाजी को रसीद संख्या दिनांक (मूल बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के नाम जमा करा दी गई है।

स्थान:

दिनांक:

अपील करने वाले के हस्ताक्षर
ई-मेल पता, यदि कोई हो _____
दूरभाष संख्या (कार्यालय) _____
(निवास) _____
डाक का पता _____

नोट:- (i) फार्म भरने में जनसूचना अधिकारी द्वारा उचित सहायता की जा सकती है।

(ii) कृपया सुनिश्चित करें कि फार्म में पूरा भरा गया है और अपेक्षित सूचना का ब्यौरा उपलब्ध कराने में कोई अस्पष्टता नहीं है।

(iii) *मांगी गई सूचना का संक्षिप्त शीर्षक एक लाइन से अधिक नहीं हो।

(iv) ** आवेदन के साथ अपेक्षित शुल्क आहरण और संचित अधिकारी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक/ भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। आवेदन प्राप्त करने और शुल्क के नकद भुगतान की व्यवस्था गेट नंबर 6, कृषि भवन स्थित विभाग के सुविधा केंद्र में की गई है। नकद जमा राशि की मूल रसीद को आवेदन के साथ जमा किया जाना चाहिए।

(v) तदनुसार इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पर्याप्त वित्त पोषित संस्थानों को अलग-अलग लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है। इन सभी लोक प्राधिकारियों ने अपने संगठन में केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी / सहायक केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी / केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनकी सूची अधिनियम की धारा 4.1 (ख) के प्रावधान के अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और संबंधित लोक प्राधिकरणों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
